EURO ASIA

RESEARCH AND DEVELOPMENT ASSOCIATION

IC/14, RAMESH NAGAR, DELHI - 110 015

Certificate of Publication

This is to certify that the paper ID: 1305 entitled

आदिवासी समाज और पेसा एक्ट की महत्व

Authored by

डॉ पुष्पा मिश्रा

has been published in Volume 7 Issue 11 Dated 23.11.2017

in International Journal

Of Research In Economics And Social Sciences (IJRESS)

The mentioned paper is measured upto the required standard.

Dimple

MANAGER PUBLICATION

UGC No - 48858

SCIENCE CENTRAL EVALUATION SCORE : 9.39

www.euroasiapub.org
email : editorijrim@gmail.com

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 7 Issue 11, November- 2017
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939|

आदिवासी समाज और पेसा एक्ट का महत्त्व

डॉ. पुष्पा मिश्रा

प्रवक्ता, समाज कार्य विभाग

जैन विष्वभारती संस्थान

लाडनूं (राजस्थान)

प्रस्तावनाः–

पंचायती राज व्यवस्था की अवधारणा कोई नई बात नही है, यह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सपना था। पंचायती राज लोकतन्त्र का जड़ है, जो दुरदराज के गांवो में रहने वाले लोगों को जो मूल सुविधाओं से वंचित है, उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने में अहम् भूमिका निभा रहा है। इसके माध्यम से समाज में आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित किया जा सका है। पंचायतों में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, शिक्षा और संस्कृति के प्रति दायित्व के निर्वहन की बात कहीं गई है। कमजोर और विकलांग वर्गो के लिये सामाजिक कल्याण कार्यक्रम में पंचायतों की जिम्मेदारी होगी। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के आरक्षण सुनिशिचित करने की जिम्मेदारी प्रासंगिक पंचायत क्षेत्र में राज्य विधानसभाओं की होगी। 73 वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण क्रान्तिकारी परिवर्तन लाकर भारत में लोकतन्त्र की इस मूल भावना को सशक्त किया गया है कि पंचायतीराज व्यवस्था के अन्तर्गत सही मायने में शक्ति ग्रामीण जनता में निहित है।

संवैधानिक प्रावधान के अन्तर्गत ग्रामीण, क्षेत्रिय तथा जिला तीनों स्तर की पंचायतों की संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए है। सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। महिलाओं एवं अनुसूचित जातियों एवं जन जातियों के लिये प्रत्येक स्तर की पंचायतों में पर्याप्त सीटों के आरक्षण का प्रावधान करके उन्हें उचित सम्मान प्रदान कर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया गया है।

आदिवासी जीवन सघर्ष –

आदिवासी समाज के जीवन संघर्ष की बात करते समय पूरे भारत के असंख्य आदिवासी स्वरुप सामने आ जाता है, जो अपने अस्तित्व और अस्मिता के लिए संघर्षरत है। तथा कथित मुख्यधारा की संस्कृति और सभ्यता ने उनके सामने दो ही रास्ते छोड़े है, कि या तो वे अपनी अस्मिता, अपना इतिहास, अपनी परम्परा को मिटाकर मुख्य धारा की वर्चस्ववादी संस्कृति को स्वीकार कर ले या फिर भौतिक रुप से अपना अस्तित्व मिट जाने के लिए अभिशप्त हो जाऐं।

आदिवासी समाज को मुख्यधारा के नाम पर राजनीतिक और आर्थिक ताकते आंतरिक उपनिवेश स्थापित करके उनके संसाधनों को लूट रही है।

स्वरुप एवं समस्याऐं –

भारत की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा आदिवासीयों का है। पुरातन लेखों में आदिवासीयों को वनवासी भी कहा गया है। भारत के प्रमुख आदिवासियों के लिये अनुसूचित जनजाति पद का प्रयोग किया गया है। भारत के प्रमुख आदिवासी समुदायों में संथाल, गोंड, मुडा, बोड़ो, भील, खासी, सहरीया, मीणा, बिरहार आदि है।

आदिवासी मुख्य रुप से भारतीय राज्यों उड़ीसा, मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, बिहार, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल में है।

आदिवासियों का अपना धर्म है। ये प्रकृति के पूजक है और जगंल, पहाड़, नदियों एवं सूर्य की अराधना करते है। आधुनिक काल में बाह्य सम्पर्क में आने से उन्होंने हिन्दू, ईसाई एवं इस्लाम

धर्म को भी अपनाया है। रामायण के रचियता महर्षि वाल्मीकी भी एक भील आदिवासी थे।

चंदा समिति ने सन् 1960 में अनुसूचित जातियों के अन्तर्गत किसी भी जाति को शामिल करने के लिये 5 मानक निर्धारित किये।

1. भौगोलिक एकाकीपन
2. विशिष्ट संस्कृति
3. पिछड़ापन
4. संकुचित स्वभाव
5. आदिम जाति के लक्षण

भारत में 461 जनजातिया है तथा ये विभिन्न समस्याओं से ग्रसित है। मुख्यतः इनकी समस्याएं समाज में अलग–थलग जीवन जीने की पहचान के रुप में जानी जाती है। इनके पास प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता के बावजूद सामन्तों के दबाव के कारण ये गरीबी के शिकार है। इनकी सामाजिक आर्थिक प्रस्थिति अपेक्षाकृत निम्न है, जिसका कारण इनका घुमंन्तु होना भी है। कृषि व्यवस्था से वंचित होने के कारण ये अपने भरण–पोषण के लिये एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन करने के आदी हो जाते है। बन्धुआ मजदूर के रुप में भी इन्हें उपयोग किया जाता है। नियमित शिक्षा से वंचित होने के कारण भी इनके जीवन में आर्थिक समस्या बनी रहती है। स्थानीय शासन व्यवस्था द्वारा स्वार्थपूर्ण निर्णयों के कारण इनके सामने पूनर्वास की समस्या बनी रहती है। इनका जीवन रीति–रिवाजों एवं कठोर परम्पराओं के बन्धन में बधां हुआ है, जिसे ऊपर उठकर सोचना भी इनके लिये पाप–पुण्य के परिकल्पना के बराबर होता है।

इतनी समस्याओं से जुझ रहे आदिवासी वर्ग का एक बड़ा समूह न्याय से वंचित जीवन जीने को मजबूर है। सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था में इनके लिए न्याय की स्थापना हेतु पेशा एक्ट 1996 पारित किया जो इनके लिये वरदान साबित हुआ है।

पेसा एक्ट 1996 – स्वरुप एवं व्यवस्था –

पेसा (पंचायत का अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम) 1996 भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति को सक्षम बनाने की दिशा में अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रयास है। उनके लिये 1996 में संसद में विशेष तौर पर पंचायती राज का एक अलग कानून बनाया गया, जिसे संक्षेप में पेसा कानून कहा जाता है। इस कानून में आदिवासी क्षेत्रों की विशेष जरुरतों का ध्यान रखते हुए यहां ग्रामसभा को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। आदिवासी मामलों में अधिकाशं विशेषज्ञों ने यह माना है कि यदि इस कानून को पूरी ईमानदारी से लागू किया जाए तो इनसे आदिवासियों को राहत देने व उनके असंतोष को दूर करने में महत्वपूर्ण योगदान मिल सकता है। अनावश्यक विस्थापन, पर्यावरण विनाश, वन कटाव आदि समस्याओं को रोकने में यह कानून अपना विशेष महत्व रखता है। आजीविका के आधार को मजबूत बनाने के लिये भी यह कानून रामबाण के रुप में साबित हो सकता है। राजस्थान में कुछ गैर सरकारी संगठन जैसे आस्था, राजस्थान आदिवासी अधिकार मंच व अन्य संगठन कानून को मजबुती से लागू करने के लिए प्रयासरत है। पेसा कानून से आदिवासी समाज को बहुत उम्मिदें रही है। यह जरुरी है कि मूल भावना को बनाए रखा जाये।

पेसा एक्ट की मुख्य विशेषताएं :–

1. आदिवासी समाज के आर्थिक एवं सामाजिक विकास की योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं का क्रियान्वयन ग्राम सभा के माध्यम से होगा।
2. ग्राम सभा गरीबी उन्मूलन एवं अन्य कार्यक्रमों के तहत लाभार्थियों के रुप में व्यक्तियों की पहचान करने का दायित्व को निर्वहन करेगा।
3. हर ग्राम पंचायत सम्बन्धित ग्राम सभा से योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिये संसाधनों के उपयोग का प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा।

4. हर पंचायत में अनुसूचित क्षेत्रों में सीटों का आरक्षण पंचायत में समुदायों की आबादी के अनुपात में होगें।
5. अनुसूचित क्षेत्रों में जल निकायो का प्रबन्धन पंचायतों को सौपा जाएगा।
6. मादक पदार्थ की बिक्री पर निषेध लागु करने की शक्ति।
7. भूमि अलगाव को रोकना।
8. ग्रामीण बाजार प्रबन्धन की शक्ति।
9. कर्ज पर नियंत्रण।
10. लघु वन उत्पादन का स्वामित्व।

सुझाव –

किसी भी अधिनियम की सफलता तभी है जब उसके तहत आने वाले प्रावधानों की जानकारी आमजन को हो। पेसा कानून अधिनियम का जनजाति क्षेत्र में प्रभावी क्रियान्वयन तभी संभव है जब एक्ट के तहत आने वाले नियमों, कानूनों तथा प्रावधानों की आमजन को जानकारी हो। इसके लिये पंचायत स्तर पर जागरुकता शिविर का आयोजन चाहिए। गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से जागरुकता फैलाने का प्रयास होना चाहिए। स्थानीय बुद्धीजीवी वर्ग द्वारा इसे प्रोत्साहन मिलना चाहिए। स्थानीय प्रशासन को आगे आना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर टी. वी., समाचार पत्र, एवं साहित्य आदि के माध्यम प्रचार प्रसार का प्रयास होना चाहिए तथा समाज के सक्षम व्यक्तियों द्वारा प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन का प्रयास होना चाहिए।

सन्दर्भ सूची –

1. डा. आर पी जोशी एवं रुपा मंगलानी (2003), भारत में पंचायती राज, प्रिन्ट 'ओ' लेण्ड, जयपुर
2. डा. आर पी जोशी एवं रुपा मंगलानी (1998), पंचायती राज के नवीन आयाम
3. आदिवासी साहित्य यात्रा (http://books.google.co.in)
4. http://rural.nic.in
5. http://tribal.nic.in
6. http://www.inclusion.in